अप्रार्थी:- श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित -

प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़

अप्रार्थी की ओर से- सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-::निर्णय::-

दिनांक: 22/12/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि- प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा, मौजा ग्राम संत कृपारामनगर, खसरा नम्बर 190/5 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 220 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 221 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ओड, खसरा नम्बर 222 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 16 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 256 रकबा 65 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसके राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवश मेरा नाम मदाराम पि. लालूराम दर्ज कर दिया जो गलत है प्रार्थी का वास्तविक नाम मदनलाल पुत्र श्री लालूराम है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड भामाशाह कार्ड इत्यादि में नाम मदनलाल पुत्र लालूराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की भूमिवश प्रार्थी का नाम मदाराम पि. लालूराम गलत दर्ज कर दिया गया है जिसको उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा, मौजा ग्राम संत कृपारामनगर, खसरा नम्बर 190/5 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 220 रकबा 03 बिस्वा गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 221 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ओड, खसरा नम्बर 222 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा,

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 16 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 256 रकबा 65 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी में प्रार्थी का नाम मदाराम पि. लालूराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम मदनलाल पि. लालूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दूरस्ती किये जाने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी उम्मेदनगर से जांच रिपोर्ट मंगवाकर जांच रिपोर्ट अनुसार जवाब प्रस्तुत किया गया पटवारी की जांच रिपोर्ट में मदाराम व मदनलाल दोनों नाम प्रार्थी के होने का उल्लेख किया गया है। अप्रार्थी का जवाब, जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मदाराम के स्थान पर मदनलाल किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा, मौजा ग्राम संत कृपारामनगर, खसरा नम्बर 190/5 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 220 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 221 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ओड, खसरा नम्बर 222 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 16 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 256 रकबा 65 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मदाराम पि. लालुराम के स्थान पर वास्तविक नाम मदनलाल पि. लालुराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
[redacted]

आज दिनांक 22/12/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
[redacted]

Scanned with CamScanner